न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 25/25 (विविध प्रा. पत्र)

GCMS No. : 2025/25

उनवान

1. श्रीमती डालीबाई पत्नी सुखलाल जी डांगी निवासी नारायणपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज। प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता प्याराजी डांगी निवासी डांगीखेडा तहसील मावली जिला उदयपुर राज।
2. श्रीमती बगदीबाई पत्नी दीपलाल जी डांगी निवासी डांगीखेडा तहसील मावली जिला उदयपुर राज.।
3. श्रीमती नोजीबाई पत्नी रमेशचन्द्र जी डांगी निवासी डांगीखेडा तहसील मावली जिला उदयपुर राज.।
4. श्रीमती मांगीबाई पत्नी कुका जी डांगी निवासी खेडली तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।
5. श्रीमती खुमीणीबाई पत्नी वरदा जी डांगी निवासी ढूंढिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
6. श्री लक्ष्मीलाल पिता जेता डांगी निवासी डांगीखेडा तालाब तहसील मावली जिला उदयपुर राज।
7. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.। ....विपक्षीगण

उपस्थित :

1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री रामसिंह रावत, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम

दिनांक : 27.03.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की साबिक आराजी न. 1190/630 मी. रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा एवं साबिक आराजी न. 1191/630 मी. रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बिघा 1 बिस्वा भूमि का प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 के बीच सहमती विभाजन हुआ जिससे आराजी न. 1190/630/1, 1190/630/4, 1190/630 मी., 1190/630/1, 1191/630/2, 1190/630/2, 1190/630/3, 1190/630 मी. नम्बर बने एवं प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के नाम दर्ज हुये। यह कि नवीन सेटलमेंट के बाद आराजी न. 1190/630/1 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के नवीन आराजी न. 1637 रकबा 0.0700 [illegible] 2626/1636 रकबा 0.3200 है., साबिक आराजी न. 1190/630/4 रकबा [illegible] के नवीन आराजी न. 2630/1648 रकबा 0.1300 है., साबिक [illegible] मी. रकबा 2 [illegible] के नवीन आराजी न. 1636 रकबा 0.4300 है., साबिक आराजी [illegible] 1190/630/1, [illegible]/630/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:26 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] 3300 [illegible]

रकबा 19 बिस्वा पौन बिस्वांसी के नवीन आराजी न 2617 / 1637 रकबा [illegible]
2628 / 1647 रकबा 0.0500 है किता 2 रकबा 0.2000 है साबिक आराजी [illegible]
रकबा 6 बिस्वा के नवीन आराजी न 2629 / 1647 रकबा 0.0600 है [illegible]
1100 / 630 / 3 रकबा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी के नवीन आराजी न 1647 [illegible]
साबिक आराजी न 1190 / 630 की रकबा 11 बिस्वा 15 बिस्वांसी के नवीन [illegible]
रकबा 0.1300 है कायम किये गये। यह कि नवीन सैटलमेंट के बाद [illegible]
तरमीम सेटलमेन्ट में गलत कर दी गई जिससे मौके की स्थिति अनुसार [illegible]
मिलान नहीं हो रहा है जिसे संशोधित कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम [illegible]
कर किये जाने का निवेदन किया।

2 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। [illegible] सख्या 1 से 4 6 तरफ से वकालत पत्र मय स्वीकारात्मक जवाब [illegible] पेश कर प्रार्थना पत्र [illegible] रावत द्वारा पेश किया गया तथा स्वीकारात्मक जवाब [illegible] पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रकरण में विपक्षी सख्या 5 के अनुपस्थित [illegible] विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी सख्या 7 द्वारा रिपोर्ट [illegible] माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश [illegible] रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा [illegible] बताया कि राजस्व ग्राम नारायणपुरा की वर्तमान जमाबदी सवत 2078–81 अनुसार [illegible] न 1636 किता 1 रकबा 0.4300 है खातेदार बगदी बाई पत्नि दीपलाल डांगी [illegible] डांगीखेडा तहसील मावली (2) आराजी नं 2626 / 1636 रकबा 0.3200 है [illegible] 0700 है कुल किता 02 रकबा 0.3900 है. डालीबाई पत्नि सुखलाल डांगी सा [illegible] न 2627 / 1637 रकबा 0.1500 है. 2628 / 1647 रकबा 0.0500 कुल किता 02 [illegible] बाई पत्नि रमेश चन्द्र डांगी सा डांगीखेडा (4) आराजी नं 2629 / 1647 रकबा [illegible] मानीबाई पत्नि कुका डांगी, खेडली (5) आराजी न. 1647 रकबा 0.1900 है. खुमा [illegible] वरदा डांगी सा डांगीखेडा (6) आराजी न 2630 / 1648 रकबा 0.1300 है. म[illegible] प्यारा डांगी सा डांगीखेडा (7) आराजी नं 1648 रकबा 0.1300 है. लक्ष्मीलाल पि[illegible] सा. डांगी तालाब खातेदार होकर दर्ज रेकर्ड है।

3. तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड की [illegible] रकबा 0.3300 है किस्म बिलानाम सरकार का अधिकतम भाग विगत कई वर्षों [illegible] मांगीलाल पिता प्यारा डांगी सा. [illegible]डा, लक्ष्मीलाल पिता जेता डांगी सा [illegible] तालाब के कब्जाशुदा [illegible] बताया साथ ही बताया [illegible] नक्शा शीट में आराजी [illegible] है के राजस्व नक्शे का अवलोकन [illegible] पाया गया कि उक्त आराजी खातेदार लक्ष्मीलाल पिता जेता डांगी के आराजी [illegible] गोपी बाई पत्नि मोतीलाल अहीर के आराजी न. 2635 / 1655 के मध्य स्थित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:26 IST
Reason: SelfAttested

4 तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि पूर्व में उक्त किसी प्रकार की विलानाम भूमि का न होकर प्रारम्भ से ही मांगीलाल पिता प्यारा डांगी व लक्ष्मीलाल पिता जेता डांगी की कब्जाशुदा भूमि आराजी न. 1651 को उनकी खातेदारी भूमि होना बताया जिसकी पत्र व अन्य रेकर्ड अनुसार जांच की गयी। उक्त विलानाम आराजी न. 1651 में सेटलमेंट विभाग द्वारा तैयार मिलान क्षे. अनुसार साबिक आराजी न. 1194/630 मी. हाल नक्शा शीट अनुसार नवीन आराजी न. 1648 में साबिक आराजी न. 1190/630 मी. के पूर्व में न होकर उत्तर दिशा में होकर दर्ज रेकर्ड है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि वर्तमान विलानाम आराजी न. 1651 नवीन आराजी 1648 के उत्तर दिशा में न होकर पूर्व दिशा में होने से समस्त खातेदारान बगदी पत्नि रमेशचन्द, मांगी बाई पत्नि कुका डांगी, रुमाली बाई पत्नि वरदा डांगी, मांगीलाल पिता प्यारा डांगी, लक्ष्मीलाल पिता जेता डांगी की पूर्व से ही काबिज कब्जाशुदा भूमि स्थित व वर्तमान नक्शा शीट में भिन्नता होकर उक्त समस्त खातेदारान का प्रभावित होना बताया तथा उक्त समस्त प्रभावित खातेदारान को मौके पर काबिज स्थिति एव पुराने राजस्व नक्शा अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा शीट में प्रस्तावित आंशिक नक्शा ट्रेस अनुसार परिवर्तन किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति न जताकर सहमति प्रदान की गयी। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पेश किया गया तथा बताया कि उक्त तरमीम शुद्धि से विलानाम भूमि का क्षेत्रफल प्रभावित नहीं हो रहा है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार नवीन सेटलमेंट के बाद मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का बडगाव तहसील भीण्डर के साबिक आराजी न. 1190/630/1, 1190/630/4, 1190/630 मी., 1190/630/1, 1191/630/2, 1190/630/2, 1190/630/3, 1190/630 मी. के नये आराजी न. 1637, 2626/1636, 2630/1648, 1636, 2627/1637, 2629/1647, 1647, 1648 बने। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम साबिक रेकर्ड एवं मौके अनुसार न कर गलत रूप से कर दी गई जिससे वर्तमान नक्शा ट्रेस में मौके अनुसार मिलान नहीं हो पा रहा है जिसे संशोधित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के अवलोकन से पाया कि तहसीलदार भीण्डर द्वारा आराजी न. 1651 रकबा 0.3300 है. भूमि के अधिकतम भाग पर खातेदार मांगीलाल पिता प्यारा डांगी, लक्ष्मीलाल पिता जेता डांगी का कब्जाशुद्धा होना बताया तथा बताया कि विलानाम आराजी न. 1651 में सेटलमेंट विभाग द्वारा तैयार मिलान क्षे. अनुसार साबिक आराजी न. 1194/630 मी. हाल नक्शा शीट अनुसार नवीन आराजी न. 1648 में साबिक आराजी न. 1190/630 मी. के पूर्व में न होकर उत्तर दिशा में होकर दर्ज रेकर्ड हैं। इस संबंध में उपलब्ध दस्तावेजो से पाया कि साबिक आराजी न. 1190/630 मी. के नये आराजी न. 1648 बने तथा साबिक आराजी न. 1194/630 मी. के नये आराजी न. 1651 बने। उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक आराजी न. 1190/630 मी. के उत्तर दिशा में 1194/630 स्थित हैं जिसके नये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:26 IST
Reason: SelfAttested

आराजी न 1651 है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा वर्तमान बिलानाम आराजी 1648 के उत्तर दिशा में न होकर पूर्व दिशा में होने से रमेशचन्द, मांगी बाई पत्नि कुका डांगी, खुमाणी बाई पत्नि वरदा डांगी, लक्ष्मीलाल पिता जेता डांगी की पूर्व से ही काबिज कब्जा... नक्शा शीट में भिन्नता होकर उक्त समस्त खातेदारान का प्रभावित होना ... विपक्षी संख्या 1, 2, 3, 4, 6 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई ... जताई।

6 अत: उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार स्पष्ट ... सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम में परिवर्तन हो गया जिसे न्यायहित ... जाना आवश्यक हैं। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू राजस्व अधिनियम क... किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर जिला ... राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की आराजी न. 1636, 1637, 2626/1636, 2627... 2628/1647, 2629/1647, 1647, 2630/1648, 1648 व बिलानाम आराजी न 16... तरमीम तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित (संलग्न) नक्शा ट्रेस अनुसार किये जाने क... दिये जाते हैं। उक्त आराजी न. के रकबे व खातेदारों के नाम में किसी प्रकार का प... नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल ... होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:28:26 IST
Reason: SelfAttested